

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
उनवान मखनलाल बनाम अंजना वगै०
दावा बाबत् विभाजन मुकदमा नं. 415/2024

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

13/4/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र दावा नहीं चलाने विषय बाबत् पेश कर निवेदन किया कि वादी ने खाता विभाजन के लिए वाद पेश किया था। सहंवन से वादी का रिकॉर्ड मौके व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण उक्त खाता विभाजन कराने से पहले वादी को अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कराना आवश्यक है। वादी काफी बुजुर्ग है, इस कारण पूर्व में इनको जानकारी नहीं थी। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी का वाद विद्धो करने की अनुमति दी जाए। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की बहस श्रवण की गई। बहस श्रवण उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एव वकील वादी की बहस का मनन करने के उपरान्त यह जाहिर है कि वादी को विभाजन करवाने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना आवश्यक है। वादी उक्त अनुतोष बाबत् संबंधित न्यायालय में दावा पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को वादी का वादपत्र प्रार्थना पत्र दावा विद्धो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक न्यायाधीश
(सुप्रीम, राज.)